

न्यायालय प्रथम अपर जिला जज, कोर्ट सं०-1 बस्ती
सि०प्र०वाद सं० 21/22
राम जियावन बनाम पल्टू आदि

दिनांक: 06-11-2024

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी।

वादी मुकदमा/अपीलार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। बार बार पुकार कराये जाने के बावजूद वादी मुकदमा की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। विपक्षी उपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि अपीलार्थी की तरफ से विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं है।

अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सिविल प्रकीर्ण अपील पत्रावली निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सिविल प्रकीर्ण अपील सं० -21/2022 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम अपर जिला जज,
बस्ती।